

3

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.18(36)नविवि/एनएचपी/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक: 06/12/17

आदेश

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान-3B के अन्तर्गत G+2 निर्माण हेतु वर्तमान प्रावधानानुसार अनुज्ञेय ऊंचाई 9.0 मीटर है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों की ऊंचाई में प्लिन्थ की ऊंचाई सम्मिलित करने से भवन के प्रत्येक तल की ऊंचाई 3.0 मीटर प्राप्त नहीं की जा सकती है तथा भविष्य में सड़क की ऊंचाई बढ़ने पर बरसाती पानी व अन्य गंदगी भवनों के अन्दर आने की संभावना को देखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि "प्रावधान-3B के अन्तर्गत अनुज्ञेय ऊंचाई 9.0 मीटर में प्रस्तावित भवन की प्लिन्थ की ऊंचाई सम्मिलित नहीं है अर्थात् प्लिन्थ की ऊंचाई की गणना भवन की ऊंचाई में सम्मिलित नहीं होगी।" इस प्रावधान की अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों में प्लिन्थ की ऊंचाई अधिकतम 0.90 मीटर ही प्रस्तावित की जा सकेगी।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, समस्त।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम